In case of recruitment by promotion/deputation/absorption; grades from which promotion/deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
By deputation (including short-term contract):- Officers under the Central Government or State Government or Universities or recognised research institutes or semi-Government or autonomous body or Statutory organisation: (i) holding analogous posts on a regular basis in the parent cadre or department, or (ii) with five years regular service in the Level 10 in the Pay Matrix (Rs.56100-Rs.177500) in the parent cadre or department; and having essential qualification of post-graduate degree or diploma in Journalism or Mass Communication having three years experience in editing or journalism in print or electronic media; or (iii) five years of regular service in Level 10 in the Pay Matrix (Rs.56100-Rs.177500) in the parent cadre or department from the Indian Information Service (Group 'A'). **Note :** period of deputation (including short-term contract) including period of deputation (including short-term contract) in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed four years. The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.	Not applicable	Consultation With Union Public Service Commission is necessary.

[F. No. A-42018/06/2015-Estt.]

K. K. JHELL, Dy. Secy.

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2018

सा.का.नि. 54.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, सहायक तकनीकी सेवाएं (चालक) भर्ती नियम, 2004 को, जहां तक उनका संबंध स्टाफ कार चालक श्रेणी-1 और स्टाफ कार चालक श्रेणी-2 से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे में स्टाफ कार चालक श्रेणी-1 और स्टाफ कार चालक श्रेणी-2 के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे, स्टाफ कार चालक श्रेणी-1 और स्टाफ कार चालक श्रेणी-2 भर्ती नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना.— ये नियम इन नियमों में संलग्न अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या**, **वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वाक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता.—**वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति .—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
स्टाफ कार चालक श्रेणी-2	6* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अनतुसचिवीय ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-04 (25500-81100 रुपये)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
(6)
21 से 25 वर्ष के बीच । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किये गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यार्थियों की दशा में शिथिल कर 40 वर्ष और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की दशा में शिथिल कर 45 वर्ष तक की जा सकती है।) **टिप्पण 1 :** आयु – सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिये नियत की गयी अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।) **टिप्पण 2 :** रोज़गार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यार्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी, जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं
(7)	(8)
(i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन (ii) भारी वाहन के लिए वैध चालन अनुज्ञप्ति धारक हो । (iii) भारी वाहन चलाने का तीन वर्ष का अनुभव । (अभ्यार्थी वाहन में छोटी-मोटी त्रुटियां सुधारने में सक्षम हो) (iv) मोटर यांत्रिकी का ज्ञान । (v) हिन्दी और अंग्रेजी का ज्ञान **टिप्पण :** अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएँ) उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(9)	(10)	(11)
दो वर्ष	सीधे भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

<table>
<tr><td colspan="3">यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना</td><td>भर्ती करने में किन परिस्थतियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।</td></tr>
<tr><td colspan="3">(12)</td><td>(13)</td></tr>
<tr><td colspan="3">समूह ‘ग’ विभागीय प्रोन्नति समिति</td><td rowspan="4">लागू नहीं होता ।</td></tr>
<tr><td>1</td><td>अपर निदेशक या वैज्ञानिक (ई), केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे (निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला द्वारा नामनिर्दिष्ट)</td><td>—अध्यक्ष</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>वैज्ञानिक ‘डी’, (नियंत्रण और प्रापण सैल)(सिविल और यांत्रिकी) केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे</td><td>—सदस्य</td></tr>
<tr><td>3</td><td>मुख्य प्रशासिनक अधिकारी या प्रशासन अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे</td><td>—सदस्य</td></tr>
</table>

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
स्टाफ कार चालक श्रेणी-1	3* (2018) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-05 (29200-92300 रुपये)	अचयन

(6)	(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति :** ऐसा स्टाफ कार चालक श्रेणी-2, जिसने निम्नलिखित पाठ्यक्रम पर आधारित व्यवसाय परीक्षण को उत्तीर्ण करने के अध्यायन उस श्रेणी में छह वर्ष की नियमित सेवा की हो : (i) अंग्रेजी की संख्याओं और अंकों को पढ़ने में अवश्य समर्थ हो, (ii) यातायात विनियमों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए (iii) पैट्रोल और डीजल इंजन के कार्य प्रणाली और छोटी मोटी त्रुटियों को सुधारने का अच्छा ज्ञान हो। (iv) कार्बुरेटर और प्लग इत्यादि साफ करने में सक्षम हो।

(12)			(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि/ प्रोन्नति समिति (पुष्टि/प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-			लागू नहीं होता।
1.	अपर निदेशक या वैज्ञानिक 'ई', केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे (निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला द्वारा नामनिर्देशित)	—अध्यक्ष	
2.	वैज्ञानिक 'डी', (नियंत्रण और प्रापण सैल) (सिविल और यांत्रिकी) केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे	—सदस्य	
3	मुख्य प्रशासिनक अधिकारी या प्रशासन अधिकारी, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पुणे	—सदस्य	

[फा. सं. ए-12018/53/2017-ई.II]

अमित कुमार सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

New Delhi, the 31st January, 2018

G.S.R. 54.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Central Water and Power Research Station, Pune, Auxiliary Technical Services (Drivers) Recruitment Rules, 2004, in so far as they relate to the posts of Staff Car Driver I and Staff Car Driver Grade II, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules

regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Driver Grade-I and Staff Car Driver Grade-II, in the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Water and Power Research Station, Pune namely:-

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Water and Power Research Station, Pune, Staff Car Driver Grade-I and Staff Car Driver Grade-II, Group 'C' Posts, Recruitment Rules, 2018.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.—**These rules shall apply to the posts specified in column (I) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.—**The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.—**The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. **Disqualification.—**No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving.—**Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Servicemen, Other Backward Classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non- selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Staff Car Driver Grade II	6 * (2018) *Subject to variation dependent upon workload	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non Ministerial	Level - 4 in pay matrix (Rs.25500-81100)	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualification required for direct recruits
(6)	(7)
Between 21 and 25 years (relaxable for Government servants up to forty years in case of General candidates and forty five in case of the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe candidates in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note 1:** The crucial date for determining age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not for the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman	(i) Matriculation from a recognized Board. (ii) Possession of a valid driving License for heavy vehicle. (iii) Three years practical experience of driving heavy vehicle. (The candidate should be able to rectify the minor-defects in vehicle); (iv) Knowledge of Motor Mechanism. (v) Working knowledge of Hindi or English **Note**: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government in

and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2:** In case of appointment to be made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date up to which the Employment Exchange is asked to submit the names.	case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

Whether age and the educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotee.	Period of probation if any
(8)	(9)
Not applicable	Two years

Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption, and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation /absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption is to be made
(10)	(11)
Direct recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Departmental Confirmation Committee :- 1. Additional Director or Scientist 'E', Central Water and Power Research Station (to be nominated by the Director , Central Water and Power Research Station) - Chairman 2. Scientist 'C', Central Water and Power Research Station - Member 3. Chief Administrative Officer or Administrative Officer, Central Water and Power Research Station - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Staff Car Driver Grade-I.	3 * (2018) *Subject to variation dependent upon workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non Ministerial.	Level -5 in the pay matrix (Rs. 29200-92300).	Non - selection

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	By promotion

(11)	(12)
Promotion : Staff Car Driver Grade II with six years regular service in the grade subject to passing of Trade Test based on the following syllabus:- (i) Must be able to read English, numerals and figures. (ii) Must have good knowledge of traffic	**Departmental Promotion Committee :** 1. Additional Director or Scientist 'E', Central Water and Power Research Station (to be nominated by the Director , Central Water and Power Research Station) - Chairman

regulations (iii) Must have good knowledge of petrol and diesel Engine working and be able to locate faults and rectify minor running defects. (iv) Must be able to clear carburator plug, etc.	2. Scientist 'C' (Control and Procurement Cell) (Civil or Mechanical) Central Water and Power Research Station - Member 3. Chief Administrative Officer or Administrative Officer, Central Water and Power Research Station - Member

(13)
Not applicable

[F. No. A-12018/53/2017-E.II]

AMIT KUMAR SINGH, Under Secy.

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 2017

राष्ट्रपति सचिवालय नियमावली (भर्ती और सेवा शर्तें) 2017

सा.का. नि. 55.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति एतदद्वारा राष्ट्रपति सचिवालय (भर्ती और सेवा शर्तें) नियमावली, 2007 संशोधित करते हैं और राष्ट्रपति सचिवालय में निम्नलिखित पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती का तरीका और सेवा की शर्तों का विनियमन करने वाले निम्नलिखित संशोधित नियम बनाते हैं अर्थात् –

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ –

क) इन नियमों को राष्ट्रपति सचिवालय (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 2017 कहा जाएगा।

ख) ये नियम 02 जून, 2017 से प्रवृत्त मान्य होंगे।

2. **परिभाषाएं :-** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

क) "प्रतिनियुक्ति" का अर्थ किसी अधिकारी की सेवाओं का सचिवालय में और सचिवालय से किसी अन्य कार्यालय में अस्थायी स्थानांतरण से है, जहां स्थानांतरण की शर्तें समय-समय पर यथासंशोधित भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के तारीख 17 जून, 2010 के का.ज्ञा. सं. 6/8/2009- स्था. (वेतन II) में उल्लिखित केंद्र सरकार के आदेशों के अधीन विनियमित की जाती है।

ख) "अधिकारी" का अर्थ सचिवालय में नियुक्त अथवा सचिवालय के काडर के व्यक्ति से है।

ग) "पद" का अर्थ सचिवालय में पद से है और इसमें निम्नलिखित शामिल है :-

(i) अनुसूची -I में यथाविनिर्दिष्ट सिविल पद;

(ii) अनुसूची -II में यथाविनिर्दिष्ट सह विस्तारी पद; और

(iii) अनुसूची III में यथाविनिर्दिष्ट और सचिवालय में ड्यूटी के लिए तैनात रक्षा सेवाओं के अधिकारी द्वारा धारित सावधिक पद।

घ) "राष्ट्रपति" का अर्थ भारत के राष्ट्रपति से है।

ड़) "अनुसूची" का अर्थ इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची से है।

च) "सचिवालय" का अर्थ राष्ट्रपति सचिवालय से है और इसमें राष्ट्रपति संपदा (प्रेसीडेंट) के उद्यानों में कार्यरत नियमित स्थापना के कर्मचारी शामिल हैं किंतु निम्नलिखित कर्मचारी शामिल नहीं हैं :-

(i) सचिवालय की गृह प्रबंधन स्थापना के कर्मचारी और

(ii) राष्ट्रपति संपदा के उद्यानों की कार्यभारित स्थापना के कर्मचारी।